आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
24-03-2021	अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख श्री सातारी पुरती, पिता– स्व० साधु चरण पुरती, निवासी ग्राम– भोया, पो०– भोया, थाना– मुफ्फसिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 327 एवं 328, रकवा क्रमशः– 0.01 एवं 0.02¼ एकड़, कुल रकवा– 0.03¼ एकड़ भूमि जो मौजा– गुटूसाई, थाना संख्या– 641, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता मानकी सुण्डी, पिता– स्व० मधुसूदन सुण्डी, ग्राम– बड़ा गुईरा, टोला– मथुराबासा, पो०– चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विक्रेता श्री सातारी पुरती का जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCST/2020/109664 दिनांक– 05.09.2020 है, जो अंचल अधिकारी, खूँटपानी द्वारा निर्गत है एवं क्रेता श्री मानकी सुण्डी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCST/2020/77633 दिनांक– 27.06.2020 है, जो अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा निर्गत है। विक्रेता श्री सातारी पुरती को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2020/155837 दिनांक– 03.09.2020 जो अंचल अधिकारी, खूँटपानी एवं क्रेता श्री मानकी सुण्डी को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2020/105218 दिनांक– 02.07.2020 है, जो अंचल अधिकारी, चाईबासा द्वारा निर्गत है। प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता सदर चाईबासा अंचल के बड़ा गुईरा मौजा के निवासी है एवं विक्रेता खूँटपानी अंचल के भोया मौजा के निवासी है, जो मुफ्फसिल थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक– 1050 दिनांक– 15.10.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिवेदन में खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 327 एवं 328, रकवा क्रमशः– 0.01 एवं 0.02¼ एकड़, कुल रकवा– 0.03¼ एकड़ भूमि ना०मु०सं० 260(एम)/98–99 के द्वारा आवेदक के पत्नी के नाम से नामान्तरित हो कर है। मुण्डा के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमति शीला पुरती, पति– सतारी पुरती का मृत्यु दिनांक– 28.01.2018 को हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई ... टिप्पणी, ... साथ
	ग्रामीण मुण्डा दलपत देवगम द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक के दखल एवं हिस्सा में है।	

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक द्वारा बिक्री के पश्चात् उनके परिवार के भरण–पोषण हेतु निज पैतृक ग्राम के अन्य खाता में 2.20 एकड़ से अधिक भूमि शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला पश्चिमी सिंहभूम के निवासी है तथा दोनो 'हो' जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– गुटूसाई, थाना संख्या– 641, खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 327 एवं 328, रकवा क्रमशः– 0.01 एवं 0.02¼ एकड़, कुल रकवा– 0.03¼ एकड़ भूमि क्रेता मानकी सुण्डी, पिता– स्व० मधुसूदन सुण्डी, ग्राम– बड़ा गुईरा, टोला– मथुराबासा, पो०– चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/03

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

24/03/2024

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.15 13:57:44 +05:30
Location: 192.168.29.87

Scanned with OKEN Scanner